

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141-5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

कमांक एफ 8 ()/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/फा.पौ./2017-18 /2199- दिनांक : 18.05.2017
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2365
जिला परिषद, समस्त.....

विषय:- वर्ष 2017-18 मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक पत्रावली पत्रांक 1409-1627 दिनांक 17.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिलो द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:-

1. फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के मुख्य प्रभावी बिन्दुओं में बिन्दू संख्या 4 में सिंचित कृषि योग्य भूमि के स्थान पर कृषि योग्य भूमि पढ़ा जावे है।
2. **जियोटेगिंग:-** जियोटेगिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु मोबाइल पर My GPS Coordinates App. डाउनलोड किया जावे। अनुदान हेतु पात्र एवं चयनित कृषक के निर्धारित स्थल पर उपरोक्त App. के माध्यम से Latitude व Longitude नोट किये जाकर जिला स्तर/उप खण्ड कार्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में संधारित किया जावे।
3. **अनुदान सीमा:-** भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के दिशा-निर्देशानुसार फार्म पौण्ड अंतर्गत जारी निर्देशों में बिन्दू संख्या 9 के अनुसार (छाया प्रति संलग्न) अनुदान की गणना की जाकर विभागीय दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे। अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर. डी. सिंह) 18.5.2017
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

कमांक एफ 8 ()/आ.कृ./जउप्र/पीएमकेएसवाई/फा.पौ./2017-18 /2199-2365 दिनांक : 18.05.2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/ विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय.....।
5. समस्त परियोजना /उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....।
6. परियोजना निदेशक कृषि, सीएडी, कोटा को पूर्व में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न कर लेख है कि उप जिला स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगे।
7. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
8. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।
9. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार),

(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

A(II)	Sub Component: Value addition and Farm development activities			
6	Apiculture (Bee Keeping)	One unit per farm under plantation /Crop/ floriculture based farming system	50% of input cost limited to Rs. 1000/colony or hive and Rs. 20,000/- per beneficiary.	-
7	Silage making for increased availability of green fodder round the year	Construction of Silo Pit of 2100-2500 cubic feet with Brick and cement Mortar; either below ground or above ground) with provision of Chaff Cutter and Weighing Balance	100% assistance for silage making unit consisting of Silo Pit Chaff Cutters and Weighing Balance limited to Rs. 1.25 lakh per farm family	-
8	Green house & Low Tunnel poly house	High value crops, Vegetables, Flower, raising planting material to avoid water stress etc.	50% of input cost subject to a limit of: Rs. 500/- per sq.m for Tubular poly house limited to Rs. 10,00,000/- per beneficiary Rs. 270/- per sq.m for wooden structure & naturally ventilated greenhouse limited to Rs. 5,40,000 per beneficiary Rs. 15/- per sq.m for Low Tunnel poly house limited to Rs. 75,000 per beneficiary	-
9	Water Harvesting and Management	Water harvesting system for individuals: Lining of tanks/ponds constructed under	50% of cost (Construction cost - Rs. 125 for plain/Rs. 150 per cum for hilly areas) limited to Rs. 75000 for plain areas and Rs. 90000 for hilly areas including lining. For smaller size of the ponds/ dugwells, cost admissible on pro rata basis. Cost for non-lined ponds/tanks will be 30% less. The families who are eligible for individual beneficiary oriented works under MGNREGS should preferably be given the labour component through MGNREGS and the material component through NMSA. 50% (cost of plastic/RCC lining limited to Rs. 25,000	FARM PONDS